VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(07 September 2023)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- ASEAN भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ': प्रधानमंत्री मोदी
- कुपोषण की खाई को पाटने का बेमेतरा तरीका: केस स्टडी
- कैलिफोर्निया राज्य के सांसदों ने जाति-आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बनने के लिए मतदान किया
- भारत में 'डाइजीन जेल' को वापस मंगाया गया

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

'आसियान (ASEAN) भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ': प्रधानमंत्री मोदी

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर, 2023 को जकार्ता में 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और शिखर सम्मेलन को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ बताया।
- जकार्ता में 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया रवाना होते समय प्रधान मंत्री ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक "महत्वपूर्ण स्तंभ" है।
- प्रधानमंत्री गुरुवार (7 सितंबर) को दस आसियान देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसके तुरंत बाद EAS बैठक होगी।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में सभी आसियान देशों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता शामिल हैं।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

क्या है पीएम दौरे के संभावित एजेंडा?

- पीएम की यात्रा के दौरान चर्चा के प्रमुख एजेंडे में भारत-प्रशांत क्षेत्र में भविष्य में सहयोग, व्यापार मुद्दे, म्यांमार की स्थिति और चीन के नक्शे पर हालिया विवाद शामिल हैं।
- इस यात्रा को इंडोनेशिया के प्रति एक कूटनीतिक इशारा माना जाता है, भले ही पीएम मोदी शुरू में जी-20 शिखर सम्मेलन और दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन के आगमन से ठीक पहले यात्रा करने से झिझक रहे थे।
- इंडोनेशियाई अधिकारियों ने भारत की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों शिखर सम्मेलनों को पुनर्निर्धारित किया, आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन अब गुरुवार सुबह एक के बाद एक हो रहे हैं, जिससे पीएम मोदी को जी-20 शिखर सम्मेलन और राष्ट्रपति बिडेन उनकी बैठक से पहले इसमें भाग लेने की अनुमति मिल गई है।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (ASEAN):

- दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ या आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापक सदस्यों: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी।
- ब्रुनेई दारुस्सलाम 7 जनवरी 1984 को आसियान में शामिल हुआ, उसके बाद 28 जुलाई 1995 को वियतनाम, 23 जुलाई 1997 को लाओ पीडीआर और म्यांमार और 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया शामिल हुआ, जो आज आसियान के दस सदस्य देश हैं।
- **आसियान शिखर सम्मेलन:**
  - ➢ आसियान शिखर सम्मेलन आसियान में सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय है जिसमें आसियान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं।
  - ➢ आसियान शिखर सम्मेलन सालाना दो बार आयोजित किया जाता है, जिसका निर्धारण आसियान शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा अन्य आसियान सदस्य देशों के परामर्श से किया जाता है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- ➢ शिखर सम्मेलन की मेजबानी आसियान की अध्यक्षता वाले आसियान सदस्य राज्य द्वारा की जानी है।
- ➢ पहला आसियान शिखर सम्मेलन 23-24 फरवरी 1976 को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति:

- भारत की एक्ट ईस्ट नीति (AEP) एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है।
- इसकी शुरुआत एक आर्थिक पहल के रूप में हुई थी लेकिन अब इसके राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक आयाम भी हो गए हैं।
- इसका उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना है।
- इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय जुड़ाव शामिल है।
- AEP अरुणाचल प्रदेश सहित भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देता है।
- यह उत्तर पूर्व भारत और आसियान क्षेत्र के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

कुपोषण की खाई को पाटने का बेमेतरा तरीका: केस स्टडी

भारत में पोषण सुरक्षा:

- भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और पोषण में सुधार के लिए कई पहल लागू की हैं।
- स्कूली बच्चों को उपस्थिति और पोषण बढ़ाने के लिए मध्याह्न भोजन मिलता है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली जनसंख्या को मासिक राशन प्रदान करती है।
- 'समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना (POSHAN)' अभियान आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाने के लिए तैयार भोजन प्रदान करता है, जिससे माताओं और बच्चों को लाभ होता है।
- अंडे और केले जैसे विभिन्न पोषक तत्वों की खुराक राज्य-विशिष्ट कार्यक्रमों जैसे कि छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत वितरित की जाती है, जो समग्र खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ाती है।
- लेकिन, पोषण सुरक्षा अभी भी एक दूर का सपना है। लोगों को अक्सर उचित खानपान की जानकारी का अभाव होता है। भोजन के बारे में मिथकों और अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन तक बढ़ती पहुंच ने समस्या को बढ़ा दिया है। पोषण परामर्श संभावित रूप से इस समस्या का उत्तर हो सकता है।

"जन आंदोलन", या सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (SBCC) द्वारा पोषण स्तर में सुधार:

- पोषण अभियान के तहत, "जन आंदोलन," या सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी), एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें साइकिल रैलियां, पोषण वाटिका (पोषण उद्यान) का निर्माण, पोषण माह (पोषण माह), पोषण पखवारा (पोषण सप्ताह) और गोद भराई (गर्भावस्था कल्याण कार्यक्रम) का उत्सव जैसी गतिविधियां शामिल हैं। विभिन्न राज्यों ने एसबीसीसी के हिस्से के रूप में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
- हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि पोषण परामर्श की अवधारणा को सभी भारतीय राज्यों में लगातार संस्थागत और समान रूप से लागू नहीं किया गया है।

- इससे पता चलता है कि हालांकि एसबीसीसी गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और पोषण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं, औपचारिक पोषण परामर्श सेवाओं की स्थापना एक चुनौती और सुधार का क्षेत्र बनी हुई है।

बेमेतरा से सीख:

- कुपोषण की स्थिति के मामले में छत्तीसगढ़ का बेमेतरा एक हैरान करने वाला जिला है।
- छत्तीसगढ़ के उपजाऊ मैदानों में स्थित, यह नक्सली गतिविधियों से अप्रभावित है और कृषि रूप से समृद्ध है। इसके निवासी भी अपेक्षाकृत समृद्ध हैं।
- हालांकि, दिसंबर 2022 में वहां गंभीर तीव्र कुपोषित (एसएएम) बच्चों की संख्या 3,299 थी। यह आंकड़ा बस्तर जैसे आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित जिलों की स्थिति से काफी मिलता-जुलता है।
- यह भोजन पद्धतियों के बारे में उचित ज्ञान की कमी की ओर इशारा करता है। समस्या पहुंच को लेकर नहीं है, बल्कि कब, कैसे और क्या खाना चाहिए, इसके बारे में अनुचित जानकारी को लेकर है।
- यही कारण है कि मजबूत निगरानी के साथ पोषण परामर्श को इस क्षेत्र के लिए कार्यप्रणाली के रूप में चुना गया था।

पोत्थ लाइका अभियान:

- "पोत्थ लाइका अभियान", जिसका छत्तीसगढ़ी में अर्थ है "स्वस्थ बाल मिशन", यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में एक पोषण परामर्श कार्यक्रम है।
- बेमेतरा उप-मंडल में 72 गंभीर रूप से प्रभावित आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में लागू किया गया।
- स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभागों के प्रशिक्षित जमीनी स्तर के कर्मचारी परामर्श प्रदान करते हैं।
- गंभीर तीव्र कुपोषित (एसएएम) और मध्यम तीव्र कुपोषित (एमएएम) बच्चों के माता-पिता को प्रत्येक शुक्रवार को सरल छत्तीसगढ़ी भाषा में परामर्श दिया जाता है।
- संतुलित आहार ("तिरंगा भोजन"), नियमित रूप से हाथ धोने और आहार संबंधी मिथकों को दूर करने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- लक्षित बच्चों की प्रगति की निगरानी की जाती है।
- परामर्श सत्रों में स्थानीय नेताओं और धार्मिक प्रमुखों की भागीदारी शामिल है।
- लक्षित बच्चों की प्रगति की निगरानी के लिए घर-घर का दौरा किया जाता है।

परिणाम जो उत्साहजनक और महत्वपूर्ण है:

- नियमित निगरानी और मूल्यांकन के साथ-साथ पोषण परामर्श के सरल मंत्र के परिणामस्वरूप, नौ महीने की अवधि में, यानी दिसंबर 2022 से जुलाई तक, पोथ लाइका अभियान द्वारा लक्षित 53.77% बच्चों को कुपोषण से बाहर लाया गया। 2023 - 1,114 बच्चों में से 599। इसके अलावा, 61.5% एमएएम बच्चों और 14.67% एसएएम बच्चों को कुपोषण से बाहर लाया गया है।
- ये आंकड़े उत्साहजनक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण दोनों हैं। जब इसकी तुलना 20 आंगनबाड़ी केंद्रों के एक यादृच्छिक नियंत्रण समूह से की गई जहां यह मिशन लागू नहीं किया जा रहा था, तो केवल 30.6% बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला गया।

आगे का रास्ता:

- हाइलाइट किए गए अनुभव स्पष्ट रूप से जिलों और राज्यों में इस मॉडल को बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाते हैं।
- केवल गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है; कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने और उन्मूलन के लिए पोषण परामर्श और निगरानी भी होनी चाहिए। कमजोर आबादी की भलाई पर स्थायी प्रभाव डालने के लिए यह समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है।

कैलिफोर्निया राज्य के सांसदों ने जाति-आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बनने के लिए मतदान किया:

- कैलिफोर्निया के सांसदों ने 5 सितंबर को जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिसमें दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए सुरक्षा शामिल की गई, जो कहते हैं कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है।
- यह बिल - अमेरिका में अपनी तरह का पहला - अब डेमोक्रेटिक गवर्नर गेविन न्यूसोम के पास है, जिन्हें यह तय करना होगा कि इसे कानून में हस्ताक्षर करना है या नहीं।
- राज्य और संघीय कानून पहले से ही लिंग, नस्ल और धर्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाते हैं। कैलिफोर्निया का नागरिक अधिकार कानून चिकित्सा स्थितियों, आनुवंशिक जानकारी, यौन अभिविन्यास, आप्रवासन स्थिति और वंश जैसी चीज़ों के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करके आगे बढ़ता है।
- यह विधेयक राज्य सीनेटर आयशा वहाब द्वारा लिखा गया था, जो राज्य विधानमंडल के लिए चुनी गई पहली मुस्लिम और अफगान-अमेरिकी महिला थीं।

जाति से जुड़ी समस्या क्या है?

- जाति एक प्राचीन, जटिल व्यवस्था है जो लोगों के जन्म के आधार पर उनकी सामाजिक स्थिति को नियंत्रित करती है।
- यह मुख्य रूप से भारत और हिंदू धर्म से जुड़ा है, लेकिन जाति-आधारित विभाजन अन्य धर्मों और देशों में भी पाए जाते हैं।
- ग्रेट ब्रिटेन से आजादी मिलने के अगले साल यानी 1948 से भारत ने जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- हाल के वर्षों में, दक्षिण एशियाई लोग अमेरिका में जाति संरक्षण पर जोर दे रहे हैं। कई प्रमुख अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने अपनी गैर-भेदभाव नीतियों में जाति को जोड़ा है, जिसमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम शामिल हैं।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- फरवरी में, सिएटल जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया।
- अब कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन सकता है।

विधेयक की आलोचना:

- विरोधियों ने तर्क दिया कि विधेयक अनुचित है क्योंकि यह केवल जाति-आधारित व्यवस्था के लोगों पर लागू होता है।
- इस साल की शुरुआत में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की ओर से राज्य के सांसदों को लिखे एक पत्र में चिंता जताई गई थी कि दक्षिण एशियाई लोगों को "इस बारे में दखल देने वाले सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर किया जा सकता है या उनकी शादी किससे हुई है, इसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जा सकता है।"

भारत में एसिडिटी और गैस से राहत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डाइजीन जेल को वापस मंगाया गया:

चर्चा में क्यों है?

- दवा निर्माता एबॉट इंडिया ने लोकप्रिय एंटासिड सिरप, डाइजीन जेल के सभी बैचों को वापस ले लिया है, जो इसकी गोवा सुविधा में निर्मित किए गए थे, क्योंकि ग्राहकों ने बताया कि बोतल में तरल सफेद हो गया था और स्वाद कड़वा था। सिरप आमतौर पर मीठे स्वाद के साथ गुलाबी होता है।

डाइजीन किसके लिए प्रयोग किया जाता है?

- गुलाबी तरल - या इसकी गोली के रूप में - एसिडिटी और इसके लक्षणों जैसे सीने में जलन, पेट की परेशानी, पेट दर्द और गैस से राहत देने के लिए जाना जाता है।

इसे गैस्ट्रिटिस (पेट की परत की सूजन) और एसिड रिफ्लक्स (ऐसी स्थिति जहां पेट का एसिड वापस भोजन नली में प्रवाहित होता है) के लिए दिया जा सकता है। यह पेट के एसिड को बेअसर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड जैसे बुनियादी यौगिकों का उपयोग करता है।

क्या दवा का सेवन सभी लोग सुरक्षित रूप से कर सकते हैं?

- एंटासिड आम तौर पर सुरक्षित है और काउंटर पर उपयोग के लिए उपलब्ध है। हालाँकि, इसके दीर्घकालिक उपयोग से बचना चाहिए क्योंकि यह अन्य जटिलताओं को जन्म देता है। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में आंतरिक चिकित्सा के वरिष्ठ सलाहकार डॉ सुरंजीत चटर्जी कहते हैं, "हालांकि लोग इसे आम तौर पर सुरक्षित मानते हुए दवा लेना जारी रखते हैं, लेकिन लंबे समय तक उपयोग से किडनी और हड्डियों की समस्याएं हो सकती हैं"।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO):

- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है।

- CDSCO के नियंत्रण में छह क्षेत्रीय कार्यालय, चार उप-क्षेत्रीय कार्यालय, 13 बंदरगाह कार्यालय और सात प्रयोगशालाएं हैं।
- **CDSCO के प्रमुख कार्य:** दवाओं के आयात पर विनियामक नियंत्रण, नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी, ड्रग्स सलाहकार समिति (DCC) और ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) की बैठकें, केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में कुछ लाइसेंस की मंजूरी इसके द्वारा की जाती है।